भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(सतर्कता अनुभाग)

विषय- आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत स्वत: प्रकटीकरण का कार्यान्वयन - इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करना।

कृपया उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आरटीआई सेल के दिनांक 05.03.2026 के आईडी नोट संख्या आर-11013/4/2026-आरटीआई सेल का संदर्भ ले, जिसके माध्यम से अन्य के साथ-साथ सीपीआईओ (सतर्कता) से सतर्कता अनुभाग से संबंधित जानकारी स्वत: प्रकटीकरण हेतु उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

2. इस संबंध में, अप्रैल 2025 से लेकर अभी तक सतर्कता अनुभाग से संबंधित नवीनतम/ अद्‌यतन जानकारी नीचे दी गई है :

क्रम संख्या	मद	प्रकटीकरण का विवरण	टिप्पणी/ संदर्भ बिंदु
16.	(1.11) कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्‌ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है/ की गई है|	उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्‌ध अनुशासनात्मक कार्रवाई: (i) छोटी शास्ति या बड़ी शास्ति कार्यवाही के लिए लंबित (ii) लघु या बड़ी शास्ति कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया।	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सतर्कता अनुभाग में 24 अनुशासनात्मक मामले लघु या बड़ी शास्ति कार्यवाही हेतु लंबित हैं। 13 अनुशासनात्मक मामलों को बड़ी शास्ति कार्यवाही हेतु अंतिम रूप दिया जा चुका है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

विनीश अरोड़ा

(विनीश अरोड़ा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23388411

अवर सचिव (आर्थिक विंग, संसद एवं आरटीआई सेल), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का दिनांक 24.03.2026 का आईडी नोट संख्या आई-11012/1/2025-सर्तकता (सीएफएन: 208681)